

(कार्यालय आदेश) - 216

आ०सं०- प्र०२/स्था०-विविध (पत्राचार)-२७-१३/२०२५

पटना, दिनांक 28/7/22

बिहार सेवा नियमावली के सुसंगत प्रावधानों एवं संविदा आधारित नियोजन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में निहित शर्तों के आलोक में पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्री चेतन आनन्द, सहायक अभियंता (संविदा), गृह जिला-पटना, जन्म तिथि-23.02.1992 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप समर्पित त्याग पत्र को दिनांक 24.03.2026 के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त स्वीकृति निम्नलिखित अनिवार्य शर्तों के अधीन है:-

- (i) उक्त त्याग पत्र की स्वीकृति विशेष रूप से अन्य सरकारी विभाग में नियमित पद पर योगदान देने के अनुरोध के आधार पर प्रदान की गई है।
- (ii) संबंधित अभियंता अपने अधीन सभी सरकारी अभिलेखों, सामग्रियों एवं तकनीकी उपकरणों का पूर्ण प्रभार अपने वरीय अधिकारी या विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी को सौंपना अनिवार्य होगा। प्रभार प्रतिवेदन समर्पित होने के उपरान्त ही विरमित माना जायेगा।
- (iii) संविदा अवधि के दौरान किये गये कार्यों के लिए उनका उत्तरदायित्व बना रहेगा। यदि भविष्य में उक्त अवधि से संबंधित कोई प्रशासनिक/वित्तीय अनियमितता उजागर होती है, तो विभाग उनके विरुद्ध अनुशासनिक एवं विधिक कार्रवाई हेतु स्वतंत्र रहेगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

५०/-

(सुमित वत्स)
अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक :- प्र०2/स्था०-विविध (पत्राचार)-27-13/2025

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/श्री चेतन आनन्द, सहायक अभियंता (संविदा), पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक:- प्र०2/स्था०-विविध (पत्राचार)-27-13/2025

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/कार्य प्रबधन) पथ निर्माण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ॐ / -

अवर सचिव (प्र०को)

ज्ञापिकांक :- प्र०2/स्था०-विविध (पत्राचार)-27-13/2025 5288 पटना, दिनांक 28/7/24
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्र०को०)